निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
सुद्धोवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
ई मेल dir.icds.ua@gmail.com

उत्तराखण्ड

पत्रांक 9801 e- /आ0बा0से सुप0भर्ती–1920–4/2025–26 दिनाक 24 दिसम्बर, 2025

उत्तराखण्ड शासन महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 3223/XVII(4)2021-5(28)/2011 दिनांक 17 नवम्बर 2021 एवं उत्तराखण्ड शासन महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या I/345507/XVII(4)2025-5(28)2011(e-82317) दिनांक 18 नवम्बर 2025 संशोधन नियमावली एवं शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2019-30(01)/2019 दिनांक 29 अप्रैल 2019 द्वारा लागू आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण एवं शासनादेश संख्या 124/XXX(2)/2020-53(01)/2001 दिनांक 22 मई 2020 के अनुसार पद आधारित रोस्टर एवं क्षैतिज आरक्षण रोस्टर नीति के प्राविधानानुसार महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून के अन्तर्गत आँगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाईजर पद हेतु आरक्षित रिक्त 83 पदों पर भर्ती वर्ष 2025–26 हेतु केवल निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली उत्तराखण्ड में वर्तमान में कार्यरत आँगनवाड़ी कार्यकर्तियों से विभागीय वेबसाईट https://wecdukschemes.in पर ऑनलाईन आवेदन दिनांकः 25.12.2025 से दिनांक 24.01.2026 तक सांय 05 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं:–

1. पदनाम – सुपरवाईजर (समूह 'ग')
2. वेतनमान– 29200–92300 लेवल 05
3. रिक्त पदों की संख्या – 83

आरक्षणवार रिक्तयों का विवरण रोस्टर के अनुसार

पदनाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	योग
सुपरवाईजर	11	4	10	06	52	83

04 अन्य महत्वपूर्ण विवरण

1. **क्षैतिज आरक्षण–**

शासनादेशानुसार उक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के विज्ञापित पदों में से (02 पद दिव्यांग PB,PD,OA,OL,BL~ तथा बहु दिव्यांग अनारक्षित श्रेणी) (01 पद स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अनाराक्षित श्रेणी) (06 पद उत्तराखण्ड राज्य आन्दोंलनकारी/आश्रित अनारक्षित श्रेणी) को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

2. **अनिवार्य अर्हताः–**

2.1 आयु– आंगनबाड़ी कायकर्ती की आयु भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस (दिनांक 01 जुलाई 2025) को न्यूनतम 31 वर्ष एवं अधिकतम 59 वर्ष होनी चाहिए।

2.2 अनुभव –चयन प्रक्रिया हेतु कार्यरत ऐसी आंगनबाड़ी कायकर्ती ही अर्ह होंगी जिन्होनें अभिलेखों के आधार पर भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस (01 जुलाई 2025) को आंगनबाड़ी कायकर्ती के मानदेय पद पर 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक मानदेय सेवा पूर्ण कर ली हो।

2.3 शैक्षिक अर्हताः– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा उर्तीण की हो।

3. **मैरिट के अंकों का निर्धारण निम्नलिखित रूप से किया जायेगा।**

Aww to sup. 2

1	शैक्षिक योग्यता हेतु अधिकतम अंक (हाई स्कूल से स्नात्कोत्तर परीक्षा तक प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी हेतु क्रमशः 03, 02 तथा 01 अंक का प्राविधान है।)	12
2	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु अंक	06
3	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती राज्य पुरस्कार हेतु अंक	04
4	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त की गयी सेवा के सापेक्ष प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिये अंक	01
5	ऐसी कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जिन्होनें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि समाजशास्त्र अथवा समाज कार्य अथवा गृह विज्ञान में प्राप्त की हो, को अंक	01

4. आवेदन प्रकिया –

4.1 उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत तथा उपरोक्त शर्तों के अनुसार अर्हता धारण करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है। इस संबंध मे कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4.2 उत्तराखण्ड राज्य की कार्यकर्तियों द्वारा अपनी डिजिटल पत्रावली विभागीय वेबसाईट https://wecdukschemes.in पर अपलोड की गई हैं, जिसमें आवेदन प्रकिया से संबंधित समस्त अभिलेख अपलोड किए गए हैं। जिन कार्यकर्तियों द्वारा पूर्व में अपनी डिजिटल पत्रावली अपलोड़ नहीं की गई है, वे कार्यकर्तियाँ भी विज्ञप्ति अवधि में अपने वांछित अभिलेख अपलोड कर अपनी डिजिटल पत्रावली बना सकती हैं।

4.3 अर्ह आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उक्त विभागीय वेबसाईट https://wecdukschemes.in पर जाकर अपने आंगनवाड़ी केंद्र आई०डी० में लॉगिन किया जाना होगा तथा अपनी डिजिटल पत्रावली में अपलोड की गई प्रत्येक सूचना का परीक्षण किया जाना होगा। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई समस्त सूचनाएँ सही तथा समस्त अभिलेख वैधता अवधि में होने चाहिए।

4.4 EWS श्रेणी, यदि लागू हो, के लाभ हेतु सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण पत्र भी विज्ञप्ति अवधि में ही अपलोड किया जाना होगा। इस हेतु लिंक मात्र अर्ह अभ्यर्थियों के लॉगिन ID में प्रदर्शित किया जाएगा।

4.5 संबंधित कार्यकर्ती द्वारा स्वयं की डिजिटल पत्रावली में पूर्व में अपलोड की गई सूचना सही न होने अथवा वैध न होने पर डिजिटल पत्रावली में अपलोड की गई सूचना को Edit बटन के प्रयोग से संशोधित किया जा सकता है ।

4.6 आवेदनकर्ता कार्यकर्ती द्वारा समस्त सूचनाएँ सही पाये जाने पर पोर्टल पर दिये घोषणा पत्र के प्रारूप पर हस्ताक्षर कर घोषणा पत्र को अपलोड करते हुए ऑनलाइन आवेदन को submit

निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
सुद्धोवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
ई मेल dir.icds.ua@gmail.com

बटन पर क्लिक कर अंतिम रूप से जमा किया जाएगा। घोषणा पत्र हेतु लिंक मात्र अर्ह अभ्यर्थियों के लॉगिन ID में प्रदर्शित किया जाएगा।

4.7 घोषणा पत्र अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त डिजिटल पत्रावली में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात वर्तमान विज्ञप्ति द्वारा की जा रही चयन प्रक्रिया हेतु संबंधित कार्यकर्ती की डिजिटल पत्रावली में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा ।

4.8 अर्ह आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों में से सुपरवाईजर पद पर चयन की प्रक्रिया उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित SOP के अनुसार संपन्न की जाएगी जिसकी विस्तृत प्रति विभागीय वेबसाइट https://wecdukschemes.in पर अपलोड की गई है। अभ्यर्थियों द्वारा उक्त वेबसाइट पर SOP का अवलोकन किया जा सकता है।

5. नोटः–

01 रिक्तियों की संख्या घट–बढ सकती है।
02 उपरोक्त विज्ञप्ति के क्रम में निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनबाडी कार्यकर्ती निर्धारित समयांतर्गत यदि आवेदन हेतु घोषणा पत्र अपलोड कर आवेदन नहीं करती है, तो बाद में संशोधन के संबंध में उनका कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् पृथक से कोई प्रमाण पत्र/प्रत्यावेदन स्वीकार नही होगा।
03 यदि समिति के समक्ष यह तथ्य प्रकाश में आता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य अथवा गलत अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उनका आवेदन समिति द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
04 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से पर्यवेक्षक पद हेतु आवेदन के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र की लॉग–इन आईडी एवं पासवर्ड संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को उपलब्ध करायी गयी है। लॉग–इन एवं पासवर्ड की सुरक्षा, समय–समय पर पासवर्ड परिवर्तन तथा इसे किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करना पूर्णतः आवेदक की जिम्मेदारी होगी। उक्त लॉग–इन से की गई प्रत्येक प्रविष्टि/अपलोड हेतु आवेदक कार्यकर्ती स्वयं उत्तरदायी होगी ।
ऑन लाईन आवदेन प्राप्ति की अन्तिम तिथि के पश्चात पृथक से काई प्रमाण पत्र प्रत्यावेदन स्वीकार्य नही होंगे ।
05 सुपरवाईजर का पद राज्य स्तरीय पद है तथा इनकी सेवायें सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में स्थानान्तरणीय है।

ऑनलाइन आवेदन मे किसी भी तकनीकी समस्या हेतु मोबाइल नं0–8859511853/ 9259553906 में सम्पर्क कर सकते हैं।

(बी0एल0राणा) 24/1/2025
निदेशक
महिला सशक्तीकरण एंव बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।